सं. ए-12018/04/2019-प्रशा.।(बी) भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

> प्रौद्योगिकी भवन नया महरौली रोड, नई दिल्ली-110016. दिनांक: 25 जुलाई, 2021

सूचना

विषय: प्रबंधक ग्रेड-।।, विभागीय कैंटीन, डीएसटी के पद के लिए भर्ती नियम - के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/61/2008-स्था (आरआर) दिनांक 13.10.2015 के अनुसार हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भर्ती नियमों के निर्माण/संशोधन का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पर 30 दिनों के लिए अपलोड किया जाना है। तदनुसार, प्रबंधक ग्रेड-II, विभागीय कैंटीन, डीएसटी (प्रति संलग्न) के पद के लिए मसौदा भर्ती नियमों को हितधारकों की जानकारी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

2. सभी हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भर्ती नियमों के मसौदे का अध्ययन करें और इस नोटिस के 30 दिनों की अविध के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(अतिन सिंह यादव) अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

डॉ. संजय कुमार मिश्रा, वैज्ञानिक 'जी', डीएसटी को डीएसटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

[भारत के राजपत्र भाग II खंड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

| | - | |
|--|-------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

सा. का. नि.राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (समूह ''ग" और समूह ''घ" पद) भर्ती नियम 1999 जहां तक विभागीय कैन्टीन प्रबंधक ग्रेड -II को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में विभागीय कैन्टीन प्रबंधक ग्रेड -II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: –

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विभागीय कैन्टीन प्रबंधक ग्रेड -II (समूह *ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।.
- 4. **निरर्हता**. वह व्यक्ति, -
- ((क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति. जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह आदेश द्वारा और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित रूप में और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति. इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछुड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपक्षित है।

अनुसुची

| | | | जनुसूपा | | |
|-----------|-------------------|----------|----------------------------|---------------------------|------------|
| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद है अथवा अचयन पद | आयु – सीमा |
| | | | | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |

| | 1 | Ι | ` ` ` | _ | 2 30 3 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-------|-------------------|---------|----------------------------------|
| | | साधारण | केन्द्रीय | सवा | वेतन मैट्रिक्स मे | | |
| | | समूह 'ख' | | | स्तर ६ (रु. | | |
| | 1* | | | | 35400 ~ | चयन पदः | |
| | | | | | 112400). | | |
| प्रबंधक ग्रेड II. | (2021) | अराजपत्रित | न, अननुसन् | चेवीय | 112400). | | |
| | , , | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | * कार्यभार | | | | | | |
| | के आधार पर | | | | | | |
| | परिवर्तन | | | | | | 30 वर्ष से अधिक नही । |
| | किया जा | | | | | | केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय |
| | सकता है। | | | | | | I |
| | (13/(11.61 | | | | | | पर जारी किए गए अनुदेशों या |
| | | | | | | | आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों |
| | | | | | | | के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा |
| | | | | | | | सकती है। |
| | | | | | | | टिप्पण 1 आयु सीमा अवधारित |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | करने के लिए निर्णायक तारीख |
| | | | | | | | भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन |
| | | | | | | | प्राप्त करने के लिए नियत की गई |
| | | | | | | | अंतिम तारीख होगी। (न कि वह |
| | | | | | | | अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ′ ′ |
| | | | | | | | मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, |
| | | | | | | | सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के |
| | | | | | | | लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के |
| | | | | | | | लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा |
| | | | | | | | ~ |
| | | | | | | | -जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान |
| | | | | | | | और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के |
| | | | | | | | अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई |
| | | | | | | | है।) |
| | | | | | | | (4) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1 | <u> </u> | | | | | |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो. |
|---|---|
| (8) | 0) |
| नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले त्यक्तियों के लिए दो वर्ष। |
| | के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी (8) |

| भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|
| (10) | (11) |
| पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रोन्नति: ग्रेड में दस साल की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (25500 -81100 रुपये) में स्तर 4 में सहायक प्रबंधक सह भंडारपाल, नोट 1: इन नियमों की अधिसूचना की तिथि पर नियमित आधार पर सहायक प्रबंधक सह- भंडारपाल के फीडर पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रबंधक ग्रेड II के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा आठ वर्ष होगी। Note 2: नोट 2: जहां अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके किनष्ठों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके विरष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते वे ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो साल, जो भी कम हो, अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हों, और अपने किनष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है अपने किनष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की अविध जो पहले से ही इस तरह की योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं। |

प्रतिनियुक्ति :

केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी: ~

- (क) (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या
 - (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (29200- 92300 रुपये) या समकक्ष के स्तर-5 में पदो पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में छह साल की सेवा के साथ; या
 - (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500 81100 रुपये) या समकक्ष में स्तर 4 में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में दस साल की सेवा के साथ; तथा
- ख) कॉलम(7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।

नोट 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| | ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो। |
|---|---|
| (12) | (13) |
| समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -अघ्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं. |
| 3. अवर सचिव (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्वसदस्य, | |